



## राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण

### प्रलिस के लयः

वधिक सेवा प्राधिकरण अधनियम 1987, लोक अदालत, अनुच्छेद 39, सर्वोच्च न्यायालय

### मेन्स के लयः

राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में कानून और न्याय मंत्री ने [राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण \(NALSA\)](#) द्वारा भारत में कानूनी सहायता कार्यक्रम के संचालन के लिये वधिक सेवा प्राधिकरणों को आवंटित धन के वविरण की जानकारी दी ।

## राष्ट्रीय वधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA):

### परचियः

- NALSA की स्थापना 1995 में वधिक सेवा प्राधिकरण अधनियम, 1987 के तहत कानूनी सहायता कार्यक्रमों की प्रभावीता की नगिरानी और समीक्षा करने तथा अधनियम के तहत कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये नयिओं एवं सदिधांतों को वकिसति करने के उद्देश्य से की गई थी ।
- यह राज्य वधिक सेवा प्राधिकरणों और गैर-लाभकारी संगठनों को वधिक सहायता प्रणालियों तथा पहलों को नषिपादति करने में मदद के लिये धन एवं अनुदान का भी वतितरण करता है ।

### संवधानिक प्रावधानः

- भारत के संवधान के अनुच्छेद- 39A में यह प्रावधान कया गया है किराज्य यह सुनश्चिति करेगा क वधिक प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है और वशिष रूप से उपयुक्त कानून या योजनाओं द्वारा या कसिी अन्य तरीके से मुफ्त वधिक सहायता प्रदान करेगा । यह सुनश्चिति करता है क आर्थिक स्थिति या दवियांगता के कारण कसिी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचति न कया जाए ।
- अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिये वधि के समक्ष समानता तथा सभी के लिये समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनश्चिति करना अनवार्य बनाते हैं ।

### कानूनी सेवा प्राधिकरणों का उद्देश्यः

- नःशुलक कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करना ।
- कानूनी जागरूकता का वसितार करना ।
- लोक अदालतों का आयोजन करना ।
- वैकल्पिक ववाद समाधान (ADR) तंत्र के माध्यम से ववादों के नपिटारे को बढ़ावा देना ।
  - वभिन्न प्रकार के ADR तंत्र हैं जैसे- मध्यस्थता, सुलह, न्यायिक समझौता जसिमें लोक अदालत के माध्यम से नपिटान या मध्यस्थता शामिल है ।
- अपराध के पीड़ितों को मुआवज़ा प्रदान करना ।

## वभिन्न स्तरों पर कानूनी सेवा संस्थानः

- **राष्ट्रीय स्तरः** नालसा (NALSA) का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधनियम, 1987 के तहत कया गया था । भारत का मुख्य न्यायाधीश पैटर्न-इन-चीफ है ।
- **राज्य स्तरः** राज्य वधिक सेवा प्राधिकरण । इसकी अध्यक्षता राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है जो इसका मुख्य संरक्षक होता है ।
- **ज़िला स्तरः** ज़िला वधिक सेवा प्राधिकरण । ज़िले का ज़िला न्यायाधीश इसका पदेन अध्यक्ष होता है ।

- **तालुका/उप-मंडल स्तर:** तालुका/उप-मंडल वधिकि सेवा समिति। इसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ सविलि जज करता है।
- **उच्च न्यायालय:** उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति।
- **सर्वोच्च न्यायालय:** सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति।

## नःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्राप्त करने हेतु पात्र:

- महिलाएँ और बच्चे
- अनुसूचति जाति/अनुसूचति जनजातके सदस्य
- औद्योगिक कामगार
- सामूहिक आपदा, हिसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार।
- वकिलांग व्यक्ति
- हरिसत में लयिा गया व्यक्ति
- वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय संबंधति राज्य सरकार द्वारा निर्धारति राशसे कम है, यदमामला सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कसिी अन्य न्यायालय के समक्ष है, और 5 लाख रुपए से कम है, यदमामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है।
- मानव तस्करी के शिकार या बेगार।

## संबंधति पहल:

- **कानूनी सेवा मोबाइल एप:**
  - न्याय तक समान पहुँच को सक्षम करने हेतु नालसा (NALSA) ने आम नागरिकों को कानूनी सहायता तक आसान पहुँच में सक्षम बनाने के लयि एंड्रॉइड और iOS संस्करणों पर कानूनी सेवा मोबाइल एप लॉन्च कयिा है।
- **दशिया योजना:**
  - न्याय वभिाग (DoJ) ने 2021-26 तक लागू की जा रही "न्याय तक समग्र पहुँच के लयि अभनिव समाधान तैयार करना (दशिया)" नामक एक योजना के माध्यम से अखलि भारतीय स्तर पर न्याय तक पहुँच पर व्यापक, समग्र, एकीकृत और व्यवस्थति समाधान शुरू कयिा है।
  - सभी न्यायिक कार्यक्रमों को दशिया योजना के तहत मलिा दयिा गया है तथा इसे अखलि भारतीय स्तर तक बढ़ा दयिा गया है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न :

राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में नमिनलिखति कथनों पर वचिार कीजयि: (2013))

1. इसका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर नःशुल्क एवं सक्षम वधिकि सेवाएँ प्रदान करना है।
2. यह पूरे देश में कानूनी कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने हेतु राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लयि दशिया-नरिदेश जारी करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

स्रोत: पी.आई.बी.